ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 139-140**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

विशेष शिक्षा का अधिकार व समावेशन (एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

अमिता मिश्रा

सहायक आचार्या– विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितार्थ, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट (उ0प्र0) भारत

Received-25.04.2025, Revised-03.05.2025, Accepted-10.05.2025 **E-mail : mishraamita.edu@gmail.com**

सारांशः ***शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया जाना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है, परन्तु किसी भी शैक्षिक पहल की सफलता सरकार समाज व परिवारों की क्षमता और प्रेरणाशक्ति पर निर्भर करता है। शिक्षा के अधिकार कानून का कार्यान्वयन भी कोई अपवाद नहीं है। इस घोषणा को कार्यात्मक रूप प्रदान करने के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन, जिला एवं गाँव स्तर के प्रशासन, समुदाय, स्कूल, परिवार को मिलकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझा रूप से इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होना होगा, तॉकि प्रत्येक बालक चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य शिक्षा की रोशनी से जगमग हो सके और एक मजबूत खुशहाल और समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके।***

अगर विद्यालय को एक ऐसी व्यवस्था बनाना 20वीं शताब्दी की चुनौती थी, जो पहले के अशिक्षित नागरिकों के जनसमूहों को न्यूनतम शिक्षा और बुनियादी समाजीकरण प्रदान कर सके तो 21वीं सदी की चुनौती ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना है, जो सभी छात्रों के लिए और सभी समुदायों में विशेष शिक्षा का एक सच्चा अधिकार सुनिश्चित कर सकें। इस नई चुनौती का सामना करना कोई अतिरिक्त दायित्व निभाना नहीं है इसके लिए एक बुनियादी तौर पर भिन्न उद्यम की आवश्यकता है।

कुंजीभूत शब्द– विशेष शिक्षा, समावेशन, मौलिक अधिकार, शैक्षिक पहल, प्रेरणाशक्ति, प्रशासन, समुदाय, प्रतिबद्धता

सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 द्वारा सभी 14 साल तक के विशेष बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और सन् 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया था। विशेष बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून भी वर्ष 2016 में संसद में पारित किया गया, जो शिक्षा के मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है। दोनो ही संविधान और नया कानून 01 अप्रैल 2016 से अस्तित्व में आ गये हैं। फिर भी सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के लाखों ऐसे बच्चों को जो विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक क्षतियों तथा सामाजिक हॉनियों के कारण लम्बे समय तक शिक्षा से वंचित रहे हैं, को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किए बिना शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के स्वप्न को धरातल पर उतारने के लिए यह आवश्यक था। सभी विशेष बालकों को एक साथ नियमित विद्यालयों में शिक्षित करने का प्रयास किया जाए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पहली बार इस दिशा में ठोस पहल की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो सके समान अधिर के रूप में सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए और वहां उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

सन् 1990 में हुई सबके लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर आल) विश्व बैठक में सभी व्यक्तियों की मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ उठाने में समर्थ हो सके। इन आवश्यकताओं में सम्मानपूर्वक मानव जीवन जीने, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने, विकास में पूर्ण भागीदारी होने, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, उचित निर्णय लेने तथा अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों जैसे साक्षरता, मौलिक अभिव्यक्ति, अंक ज्ञान, समस्या समाधान, रचनात्मकता का विकास तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु जैसे ज्ञान, कौशल मूल्य व दृष्टिकोण समाहित किए गए। तदुपरान्त 1994 में सलमान्का (स्पेन) में आयोजित बैठक जिसमें भारत समेत 92 राष्ट्रों तथा 25 अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें सबकी शिक्षा के पक्ष में संस्तुतियां स्वीकार की गई और ये दावा किया गया फिर सभी दिव्यांग बच्चों को एक समावेशित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

निःशक्तजन अधिनियम (1995) के 26वें भाग में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालको की 18 वर्ष की उम्र तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि समावेशन की नीति को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों की संगठित भागीदारी समाज में उनके एकीकरण के लिए आवश्यक है, इससे उनकी सूचनाओं तक पहुँच बढ़ती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, एकजुट होने से वे अपनी समस्याओं को सुलझानें के सामूहिक तरीके ढूँढ सकते हैं।[1]

शिक्षा का मौलिक अधिकार एवं विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता– प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली का प्रथम सोपान है इसी पर बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक योग्यताओं के विकास पर निर्भर है। इसी समय ही बच्चों की सफलताओं तथा उपलब्धियों की बुलियाद रखी जाती है और उनके भविष्य का निर्धारण किया जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सन् 2000 में केन्द्र और राज्य सरकारों के परस्पर सहयोग पर आधारित सर्व शिक्षा अभियान जैसी राष्ट्रीय फलक वाली योजना का शुभारम्भ किया गया। जिसका लक्ष्य सभी 6–14 वाल के सभी बालको कों उनकी आयु के समकक्ष विद्यालयों के साथ एक समावेशिक शिक्षा वातावरण में शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना विद्यालय में आने वाली बाधाओं को दूर करना, बालकों का विशेषज्ञों द्वारा कार्यात्मक व बौद्धिक मूल्यांकन करवा कर उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण में शिक्षा का प्रबन्ध करना स्कूल प्रणाली में उन्हें बनाए रखना, गैर सरकारी संस्थाओं, शिक्षा शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, अध्यापक अभिभावक सघों, समुदाय के लोगों का सहयोग, वित्तीय सहायता, विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं जैसे– मुक्त विद्यालय, औपचारिक और वैकल्पिक विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा एवं साक्षरता, और जहां पर आवश्यक हो गृह आधारित शिक्षा, परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, अल्पकालिक कक्षाओं का आयोजन, सामुदायिक आधारित पुर्नवास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और कार्य योजनाओं द्वारा 2010 तक गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभियान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए और शून्य अस्वीकारता की अवधारणा को स्वीकारते हुए यह व्यवस्था की गई कि किसी भी बालक को किसी भी कारणवश शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को जिनको देखकर लगता है।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-II, Issues-36, YEAR-April-June. 2025

कि सौ वर्ष पूर्व गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल एसेम्बली में भारतीयों के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के जिस स्वप्न को देखा था उसे वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्ही कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 (अ) में सम्मिलित कर दिया गया है जिसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसी प्रकार उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

शिक्षा के अधिकार के मुख्य बिन्दु–

1. 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
2. बच्चों का न तो स्कूल फीस देनी होगी न ही यूनिफार्म, पुस्तकें ट्रांसपोर्टेशन या मिड–डे मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।
3. बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा, न सकूल से निकाला जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
4. कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकेगा। हर 60 बालकों को पढ़ाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे।
5. सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत शीटें आरक्षित होंगी।
6. जिन स्कूलों का इन्फास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उन्हें तीन वर्ष के अन्दर इसे दुरस्त करना होगा वरना उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
7. सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर 6 से 14 साल तक का बच्चा स्कूल जाए।
8. इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। उनके अंशदान का अनुपात 55:45 होगा ।

शिक्षा के अधिकार एवं चुनौतियां– शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू तो हो गया अभी इसके कई जमीनी चुनौतियां इस कानून को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में अभी लम्बा समय लग सकता है। वर्तमान में भारत की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, जहां तकरीबन 10 लाख स्कूलों में 169781146 (प्राइमरी और अपर प्राइमरी) बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 5530269 शिक्षक कर रहे हैं। (सातवां अखिल भारतीय विद्यालय सर्वेक्षण 2002)। फिर भी सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य मौलिक अधिकार बन जाने के बावजूद तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की 6–14 आयु वर्ग के लाखों ऐसे बच्चों को जो विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक क्षतियों तथा सामाजिक हानियों के कारण लम्बे समय तक शिक्षा से वंचित रहे है। इस प्रकार शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल नहीं कर लिया जाता है। एन.एस.एस.ओ. के 58वें सर्वे के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 18. 49 मिलियन है, जो कि कुल जनसंख्या का 1.8 प्रतिशत है। जिनमें से 55 प्रतिशत निरक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 05–18 साल तक के 1000 शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों में (475) और शहरी क्षेत्रों में (444) बच्चें विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं।

विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को अभी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली के एक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में एक मूक बधिर बालक के दाखिले के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े तब जाकर उस बालक का दाखिला उस संस्थान में हो पाया। निःशक्तजनों के अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा (2006) के अनुसार भारत समेत अन्य विकासशील देशों में मात्र 1 से लेकर 3 प्रतिशत तक ही विकलांग बालक विद्यालयों में नामांकित हैं और बाकी 99 से 97 प्रतिशत बालक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।

विशिष्ट बालकों की पहचान एक त्रिस्तरीय विशेषज्ञों की टीम जिसमें एक डॉक्टर मनोवैज्ञानिक और एक विशेष प्रशिक्षक द्वारा रखा जाता है, जिससे की उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शैक्षिक वातावरण में शिक्षा का प्रबंधन किया जा सके। इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। देश के अनेक राज्यों में स्कूलों की माली हालत ठीक नहीं है। सैकड़ों विद्यालय खुले आसमान या किसी पेड़ के नीचे लगते हैं। न तो उन विद्यालयों में बैठने के लिए टाट–पट्टी की व्यवस्था है न ही पीने के लिए पानी की और न ही शौचालयों की जिन विद्यालयों में शौचालय बनाए गए हैं। उन पर या तो ताला लगा रहता है या वो शौचालय अवरोधक मुक्त नहीं हैं। जिसके कारण विशेषतः बालिकाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के एक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही एक अस्थिविकलांग छात्राध्यापिका को केवल इसलिए लगभग 8 घंटे पानी पीने से परहेज करना पड़ता है कि अगर बाद में उसे शौचालय जाना पड़ा तब क्या होगा क्योंकि प्रशिक्षण केन्द्र के शौचालय अवरोधक मुक्त नहींहैं। शिक्षण सामग्री का अभाव भी इस कानून के राह में एक बड़ा अवरोधक देखने में आ सकता है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की उनकी शिक्षा सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री की ही आवश्यकता पड़ती है। एक बालक की दृष्टिबाधिता के कारण उत्पन्न हुई विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास लिखने के लिए ब्रेल स्लेट, ब्रेल पेपर, स्टाइलिस हों। गणित सीखने के लिए अबेकस टेलर फेम आदि हों। शिक्षण सामग्री के बिना शिक्षण कार्य कैसे होगा इसका अंदाजा भली–भांति लगाया जा सकता है। यह भी देखनें और सुनने में आम है कि सैकड़ों बालकों को बिना पुस्तकों व शिक्षण सामग्री के अपना अध्ययन कार्य को करना पड़ता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. जी. थॉमस इन्क्लूसिव स्कूल्स फॉर एन इन्क्लूसिव सोसाइटी – ब्रिटिस जनरल ऑफ एजुकेशनल– 1997. पृष्ठ सं. 24.
2. द सालामा का स्टेटमेंट एण्ड फ्रेमवर्क फॉर एक्सन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन– पेरिस, युनेस्को –1994.
3. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्य– केन्द्र समूह एन.सी.ई.आर.टी.– नई दिल्ली, भारत 2006.
4. निःशक्तजन अधिनियम– मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली 1995, अध्याय–5.
5. के. के. भाटिया एवं पी.सी. चड्ढा सिंह– आधुनिक भारतीय शिक्षा ओर इसकी समस्याएं– प्रकाश बृदज लुधियाना– 1995.
6. एम. के. नारंग समावेशी शिक्षा–अग्रवाल प्रकाशन, आगरा –2011.
7. डॉ. मालती सारस्वत– भारतीय शिक्षा का विकास सामयिक समस्याएं–आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद– 2006.
8. डॉ. आर. ए. जोसेफ पुर्नवास के आयाम– समाकलन पब्लिशर्स– वाराणसी– 2013.

*****